मंत्रालय

आ दे श

भोपाल, दिनांक 11 मार्च, 2000

क्रमांक एफ 1-63/99/42-1, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 1-65/सी डी/एन ई सी/98-99 दिनांक 30 दिसम्बर, 1999 के साथ संलग्न परिशिष्टों में निहित शर्तों के अधीन, राज्य शासन शासकीय पोलिटेकनिक संस्थाओं, स्वशासी पोलीटेकनिक संस्थाओं के शिक्षकों को निम्नानुसार पुनरीक्षित ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान दिनांक 1.1.1996 से स्वीकृत करता है :-

क्रमांक	पदनाम	विद्यमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
1.	2.	3.	4.
1.	व्याख्याता	रू0 2200-75-2800-100-4000/-	रू0 8000-275-13,500/-
2.	व्याख्याता (सीनियर स्केल)	रू0 3000-100-3500-125-5000/-	रू0 10,000-325-15,200/-
3.	व्याख्याता (सिलेक्शन ग्रेड)	रू0 3700-125-4950-150-5700/-	रू0 12,000-420-18,300/-
4.	विभागाध्यक्ष	रू0 3700-125-4950-150-5700/-	रू0 12,000-420-18,300/-
5.	प्राचार्य	रू0 4500-150-5700-200-6300/-	रू0 16,400-450-20,000/-

2/- पुनरीक्षित ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान में वेतन निर्धारण की शर्तें वही रहेंगी जो राज्य शासन ने अपने कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक जी-27-2-सी-4-98 दिनांक 9 मार्च, 98 के द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कराई गई हैं ।

क्रमशः..2...

परंतु :- (1) इन शर्तों के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि प्रत्येक शिक्षक के द्वारा विद्यमान वेतनमान में अर्जित प्रत्येक तीन वेतनवृद्धियों पर एक वेतन वृद्धि का लाभ पुनरीक्षित वेतनमान में केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1997 के नियम 7 के अनुसार प्राप्त हो ।

(2) ऐसे प्रवर श्रेणी के व्याख्याता जो विद्यमान वेतनमान रूपये 3700-125-4950-150-5700/- में कार्यरत हैं, जब भी वे इस पद पर 5 वर्षों की सेवा पूर्ण कर लेते हों, का वेतन पुनरीक्षित वेतनमान 12,000-420-18,300/- में न्यूनतम वेतन रूपये 14,940/- पर निर्धारित किया जावेगा ।

(3) ऐसे विभागाध्यक्ष का वेतन, जो विद्यमान वेतनमान रूपये 3700-125-4950-150-5700/- में कार्यरत है, जब भी 5 वर्षों की सेवा इस पद पर पूर्ण कर लेते हैं, पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 12,000-420-18,300/- में न्यूनतम वेतन रूपये 14,940/- पर निर्धारित किया जावेगा ।

No CASE BE holden - 1996

3/- शासकीय/स्वशासी पोलीटेक्निक संस्थाओं के शिक्षकों को उच्च अर्हता अर्जित करने पर प्रोत्साहन एवं उनके कैरियर एडवांसमेंट की योजना को, जिसका उल्लेख अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ 1-65/सी डी/एन ई सी/98-99 दिनांक 30/12/99 के पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट की कंडिका 7 से 9 में किया गया है, प्रदेश के शासकीय/स्वशासी पोलीटेक्निक संस्थाओं के शिक्षकों के लिए यथावत लागू किया जाता है ।

4/- पुनरीक्षित वेतनमान के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षकों को दिनांक 1.1.96 एवं उसके उपरांत राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता राज्य के अन्य कर्मचारियों के समान ही प्राप्त होगा तथा अन्य भत्तों एवं सुविधाओं की दृष्टि से भी राज्य के अन्य कर्मचारियों के समकक्ष ही माना जावेगा ।

क्रमशः...3...